International Journal of Advance and Applied Research
www.ijaar.co.in
ISSN – 2347-7075 Impact Factor – 7.328
Peer Reviewed Bi-Monthly
Vol. 11 No. 5 May-June 2024

जनपद मऊ में गन्ना उत्पादन की चुनौतियाँ एवं सहकारी चीनी मिल की भूमिका

आकांक्षा सिंह
शोधार्थी, डी.सी.एस.के.पी.जी. कॉलेज, भूगोल विभाग, मऊ, वी.बी.एस.पी. विश्वविद्यालय, जौनपुर
Corresponding Author: आकांक्षा सिंह
DOI- 10.5281/zenodo.12704787

सारांशः

देश में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, जनपद मऊ की जनसंख्या 2205170 (2011)है। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन रोटी, चावल, दाल है। अतः यहाँ के लोग खाद्यान्न फसल के अन्तर्गत गेहूँ, धान तथा दलहन में चना, अरहन, मसूर आदि उपजाते हैं। अगर किसान गन्ना फसल उपजाते हैं तो उसे बेच कर उन्हें इन्ही सारी चीजों को खरीदना है, इसके अलावा एक मंडा खेत में लगभग 12 कुन्तल गन्नें का उत्पादन होता है, जबकि धान व गेहूँ लगभग क्रमशः 2 कुन्तल व 1 कुन्तल उत्पादित होता है। यहाँ यह स्पष्ट हो जाता है कि गन्नें का उत्पादन धान व गेहूँ की तुलना में सर्वाधिक है । जबकि गन्नें का भाव 315 रू0/कुन्तल (2017) है। इस तरह 12 कुन्तल गन्नें का दाम 3780रू0 है तो वहीं गन्नें के भाव की तुलना धान व गेहूँ से किया जाय तो गेहूँ का भाव 1792रू0/कुन्तल है। जबकि धान का भाव 2767 रू0/कुन्तल है, अर्थात् 2 कुन्तल धान का दाम 5534रू0 होगा। अगर धान व गेहूँ के भाव को संयुक्त रूप से देखा जाये तो इन दोनों फसलों की कीमत 7326रू0 होगा। जो गन्नें के भाव से कहीं ज्यादा है। अतः किसान खाद्यान्न फसल उपजा कर अपना जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं और बचा हुआ अनाज बेच कर लाभ भी पा जाते हैं, इस प्रकार गन्ना किसानों के लिये व्यापारिक फसल नहीं रह गया है, जिससे किसान इसके उत्पादन के प्रति उदासीन है तथा उत्पादन कम होने की वजह से सहकारी चीनी मिल को भी गन्नें की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

मुख्य शब्दः– मंडा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऊसर मिट्टी, ब्रांडिंग।

प्रस्तावनाः

कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता से की जा रही है। कृषि ने भारतीय सभ्यताओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आज भी हमारा देश मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। खाद्यान फसलों के अन्तर्गत गेहूँ, धान, जौ आदिय दलहनी फसलों में चना मटर, अरहर, मसूर आदि तथा तिलहन के अन्तर्गत सरसों, राई, सूर्यमुखी, मूंगफली आदि की खेती की जाती है। कृषि विकास में व्यापारिक फसलों का अहम योगदान है। व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत गन्ना, जूट, कपास, आदि मुख्य हैं। इनमें गन्ना का मूलस्थान भारत वर्ष है। हमारे देश में गन्नें का इतिहास काफी समृद्ध रहा है परन्तु वर्तमान दशा में इसकी दशा बहुत दयनीय है। 2.43 लाख वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में फैला उत्तर–प्रदेश, देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, जो लगभग 20 करोड़ जनशक्ति का केन्द्र है। गन्नें की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और विकास की धुरी है। गन्ना नगदी फसल होने के कारण किसानों के आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि प्रधान अर्थतन्त्र वाला यह प्रदेश एक बड़ा उपभोक्ता बाजार भी है। भारतवर्ष में कुल गन्ना क्षेत्रफल 49.44 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से अकेले उत्तर–प्रदेश का 21.25 लाख हेक्टेयर (लगभग 43 प्रतिशत) क्षेत्र आता है। यह गंगा–यमुना दोआब के बीच की भूमि का अत्यन्त उपजाऊ बेल्ट है। वर्तमान समय में पूर्वी उत्तर–प्रदेश में गन्ना उत्पादन की पर्याप्त सम्भावना है परन्तु चीनी मिलों के अभाव में गन्ना विकसित नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में देवरिया के प्रतापपुर नामक स्थान पर 1903ई0 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित हुई परन्तु रणनीतिक नियोजन के अभाव में असफल रही। इसी तरह वर्तमान में पूर्वी उत्तर–प्रदेश के जनपद मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, जौनपुर, देवरिया, गोरखपुर आदि जनपदों में अधिकतम मिलें बन्द हो चुकी हैं तो कुछ अपनी जर्जर स्थिति में सांसे गिन रही है। हमारे देश में गन्नें का अर्थशास्त्र ही त्रुटिपूर्ण है जहाँ गन्नें की कीमत तो राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है तो वहीं चीनी की कीमत बाजार की मांग पर केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाता है।

सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा गन्नें की कीमत बढ़ाती है परन्तु उससे निर्मित उत्पादों के मूल्य में वृद्धि नहीं होती, जिससे असंतुलन होता है परिणामस्वरूप घाटे का व्यापार हो जाता है। जिस कारण सहकारी चीनी मिलें घाटे में रहती हैं। मिलों द्वारा किसानों का भी मूल्य भुगतान तत्काल नहीं हो पाता जिस कारण किसान गन्नें की खेती के प्रति उदासीन हो गये हैं। चीनी मिलों के अभाव में किसान परम्परागत विधि द्वारा गन्नें की पेराई कर के देशी कल–कड़ाहों द्वारा गुड़ बनाते हैं तथा उसे बाजार में बेचते हैं। इस तरह गन्ना उत्पादन, गुड़ उत्पादन तथा उसे बाजार में बेचने तक का कार्य किसान को स्वयं करना पड़ता है। जिससे वे धीरे–धीरे गन्ना उप्तादन के प्रति उदासीन हो गये और उदासीनता के कारण गन्नें की खेती से विमुख हो गये। जिसका नुकसान यह हुआ कि चीनी मिलों को गन्नें की पूर्ति नहीं हो पाती और धीरे–धीरे देशी कड़ाहें भी लुप्त होते चले गये। वर्तमान में वैश्विक बाजार उपलब्ध है, वैश्विक बाजार में चीनी ने तो अपनी रफ्तार पकड़ ली है जबकि गुड़ ने नहीं पकड़ा है। यद्यपि गुड़ उद्योग भारत का बहुत पुराना उद्योग है। गुड़ का उपयोग मूलतः दक्षिण एशिया में किया जाता है। गुड़ का विश्व में सबसे बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिलें में है तथा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भी भारत के आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले में है। गुड़ लौह तत्व का एक प्रमुख स्रोत है और रक्ताल्पता (एनीमिया) के शिकार व्यक्ति को इसके सेवन की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य चेतना एवं अन्य वैकल्पिक स्रोतों के कारण चीनी की मांग में कमी आयी है परन्तु उसके उत्पादन में वृद्धि जारी है। 2015–16 में चीनी उप्तादन 24.8 मि0टन था जो 2017–18 में बढ़कर

32.25 मि0टन हो गया है तथा आगामी वर्षों में 35.5 मि0टन पहुँचनें का अनुमान है, जबकि चीनी की मांग 25 मि0 टन के आस–पास स्थित है। मांग व पूर्ति की बढ़ती विसंगति ने चीनी की किमतों को और नीचे गिरा दिया है, जिससे गन्नें की फसल का बकाया बढ़ता जाता है। जिस कारण किसानों का तत्काल भुगतान नहीं हो पाता। अतः हमें देशी गुड़ की ब्रांण्डिग करके उसे वैश्विक बाजार में उतारना चाहिये। जिससे चीनी का उत्पादन मांग के अनुरूप हो सके और उसकी मांग के अनुसार कीमत प्राप्त हो तथा गुड़ को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराके किसानों को लाभ पहुँचाया जा सके। जिससे गन्नें के उप्तादन में वृद्धि आयेगी और चीनी मिलों व देशी कल कड़ाहों को पुनर्जीवन प्राप्त होगा।

अध्ययन का उद्देश्यः

प्रस्तुत अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य जनपद मऊ में गन्ना उत्पादन की चुनौतियों को उजागर करना एवं जिले में स्थित एक मात्र किसान सहकारी चीनी मिल जो घोसी में स्थित है की भूमिका को स्पष्ट कर गन्ना विकास हेतु आदर्श आयोजना प्रस्तुत करना है।

शोध विधि तन्त्रः– प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं द्वितीयक आकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर विश्लेषणात्मक एवं विवेचनात्मक विधि द्वारा अध्ययन को पूर्णता प्रदान की गयी है। जनपद मऊ के विकासखण्ड परदहाँ के अन्तर्गत ग्राम ताजोपुर को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है। ग्राम की जनसंख्या 5469 है। प्रति 500 जनसंख्या पर एक किसान का चयन साक्षात्कार के लिये किया गया है। साक्षात्कार के लिये चयनित किसानों में बड़े कृषक, मझौंले कृषक, लघु कृषक व जो भूमिहीन बटाईदार कृषक है, सभी को शामिल किया गया है और उनसे गन्नें के प्रति उदासीनता के कारणों की जानकारी प्राप्त की गयी है। जनपद में मिल की भूमिका को जानने के लिये मिल प्रबन्धक व मुख्य गन्ना अधिकारी से साक्षात्कार द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी है।

अध्ययन क्षेत्रः–

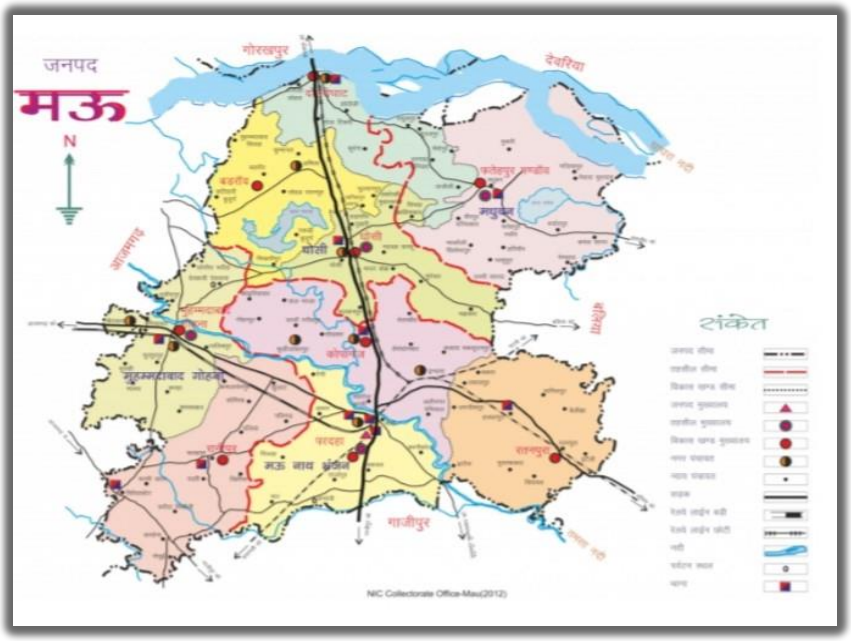

तमसा के पावन तट पर मऊ जनपद स्थित है। जिसका विस्तार 24˚47'' से 26˚ 17'' उ अक्षांश तथा 83˚ 17'' से 84˚52''पू देशान्तर के बीच है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1728 वर्ग कि0मी0 है। शुद्ध बोया गया कुल क्षेत्र 119056 हेक्टेयर (2016–17) है। जिसके शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का 96.33 प्रतिशत है। गन्ना के अन्तर्गत बोया गया कुल सिंचित क्षेत्र 6475 हेक्टेयर (2016–17) है, जो शुद्ध बोये गये क्षेत्र का 5.43 प्रतिशत है। जनपद में फसलसघनता 167.86 है। समस्त जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों के अन्तर्गत क्षेत्रफल 80. 68 प्रतिशत (2010–11) है। जनपद मऊ गंगा–घाघरा दोआब में स्थित है, जनपद के उत्तरी भाग में कछारी और खादर मृदा पायी जाती है, जो बहुत उपजाऊ होती है। उच्चवर्ती भागों में बांगर मृदा पायी जाती है। जनपद के दक्षिणी भाग में कोई नदी प्रवाह नहीं है। अतः दक्षिणी भाग में सामान्यतः बांगर मृदा ही पायी जाती है, जो अनुपजाऊ है। जनपद में तमसा व उसकी सहायक छोटी सरयू नदी का अपवाह तंत्र स्थित है तथा जलवायु मानसूनी है।

जनपद मऊ में गन्ना फसल का विवरण

वर्ष	कुल सिंचित क्षेत्र (हे0)	सिंचित क्षेत्र में % अन्तर	उत्पादन की मात्रा कुं0 में	उत्पादन में % अन्तर	भाव/कु0 रू0 में	भाव में % वृद्धि
1997	10759	(1997-01) -13.04%	5419690	(1997-01) -17.8%	65.00	(1997-01) 38.46%
2001	9356	(2001-05) -24.75%	4452970	(2001-05) -30.19%	90.00	(2001-05) 24.4%
2005	7040	(2005-09) +1.92%	3108580	(2005-09) -7.92%	112.00	(2005-09) 75.57%
2009	7175	(2009-013)	2862390	(2009-013)	200.00	(2009-

		-11.66%		+7.46%		013) 40%
2013	6426	(2013-017) +0.76%	3076000	(2013-017) +21.47%	280.00	(2013-017) 12.5%
2017	6475		3736390		315.00	
1997-017		-39.82%		-31.05%	250.00 रू0 वृद्धि	+384.6%

उपर्युक्त आकड़े से दो बातें स्पष्ट होती हैं पहला सिंचित क्षेत्र एवं उत्पादन में कमी और दूसरे–भाव में वृद्धि वर्ष 1997 से 2017 तक गन्नें के कुल सिंचित क्षेत्र में लगातार गिरावट आयी है। 20 वर्षों में गन्ने के कुल सिंचित क्षेत्र में 39.82% की कमी अयी है, सिंचित क्षेत्र में हुई कमीं के कारण इसके उप्तादन में भी निरंतर कमी आयी है। कुछ वर्षों में वृद्धि हुई भी पर यह वृद्धि बहुत मामूली है। 20 वर्षों में उत्पादन में 31.05% कमी आयी है।जबकि सरकार द्वारा गन्ने के भाव में निरंतर वृद्धि की गई है। 1997 में गन्नें का भाव 65रू0 प्रति कुन्तल था, जो 2017 में बढ़कर 315रू0 प्रति कुन्तल हो गया है। इस तरह देखा जाए तो इन 20 वर्षों में गन्नें के भाव में लगभग 4 गुना वृद्धि हुआ है। इसके बावजूद गन्ना उत्पादन में किसानों में उदासीनता क्यों आयी है। इसे स्पष्ट तरीके से समझने के लिए यदि हम गन्नें का तुलनात्मक अध्ययन खाद्यान्न फसलों धान व गेहूँ से करें तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जायेगी।

जनपद मऊ में गेहूँ का विवरण

वर्ष	कुल सिंचित क्षेत्र (हे0)	संचित क्षेत्र में % वृद्धि	उत्पादन मी0 टन	उत्पादन में % अन्तर	भाव/कु0 रू0 में	भाव में % वृद्धि
1997	89504	(1997-01) +2.47%	231385	(1997-01) -7.25%	541.00	(1997-01) +10.91%
2001	91715	(2001-05) +0.85%	214380	(2001-05) -7.37%	600.00	(2001-05) +33.33%
2005	92495	(2005-09) +1.24%	198574	(2005-09) +29.25%	800.00	(2005-09) +29.13%
2009	93646	(2009-013) +0.99%	256666	(2009-013) +22.41%	1033.00	(2009-013) +46.85%
2013	94569	(2013-017) +8.83%	314173	(2013-017) +0.46%	1517.00	(2013-017) +18.13%
2017	102919		315626		1792.00	
1997-017		+14.99%		+36.41%	+1251रू0	+231.24%

उपर्युक्त आकड़े से स्पष्ट होता हैं कि गेहूँ के सिंचित क्षेत्र में 20 वर्षों में लगभग 15% की मामूली वृद्धि हुई है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि गेहूँ प्रदेश की मुख्य फसल है, जिसका पहले से ही काफी विस्तृत क्षेत्र पर कृषि की जा रही है। इन 20 वर्षों में इसके उत्पादन में 36.41% की वृद्धि हुई है तथा इसके भाव में लगभग ढ़ाई गुना वृद्धि हुई है। इस तरह देखा जाये तो गेहूँ के क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि ही हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि किसान गेहूँ की खेती निरन्तर कर रहे हैं।

जनपद मऊ में धान का विवरण

वृद्धि	कुल सिंचित क्षेत्र (हे0)	सिंचित क्षेत्र में % वृद्धि	उत्पादन मी0 टन	उत्पादन में वृद्धि	भाव/कु0 रू0 में	भाव में % वृद्धि
1997	38010	(1997-01) 14.26%	152304	(1997-01) +11.01%	680.00	(1997-01) 0.44%
2001	43432	(2001-05) 57.09%	169071	(2001-05) -31.15%	683.00	(2001-05) 30.31%
2005	68231	(2005-09) 18.45%	116405	(2005-09) +56.91%	890.00	(2005-09) 40.45%
2009	80819	(2009-013) 8.10%	182650	(2009-013) +4.52%	1250.00	(2009-013) 44%
2013	87371	(2013-017) 7.77%	190922	(2013-017) +5.86%	1800.00	(2013-017) 53.72%
2017	94158		202162		2767.00	
1997-017		+147.72%		+32.74%	+2087.00	+306.91%

इसी तरह अगर हम धान की फसल को देखते है तो अप्रत्याशित आकड़े प्राप्त होते हैं। सन् 1997 से धान के सिंचित क्षेत्र में लगातार तीव्र गति से वृद्धि हुई है। इन 20 वर्षों में धान के सिंचित क्षेत्र में लगभग 1.5 गुना वृद्धि तथा

उत्पादन में 32.74% की वृद्धि हुई है। धान के सिंचित क्षेत्र में हुई यह अप्रत्याशित वृद्धि से स्पष्ट होता है कि गन्नें की एक फसल को अप्रैल–मई में बोया जाता है, परन्तु गन्नें के सिंचित क्षेत्र में हुई कमीं से स्पष्ट होता है कि किसान गन्ने की कृषि के स्थान पर धान की कृषि जो जून–जुलाई में बोयी जाती है पर विशेष बल दे रहे हैं। यह किसानों का गन्ना के प्रति उदासीनता को स्पष्ट करता है। यदि धान के मूल्य कर बात करें तो इन 20 वर्षों में धान की कीमत में तीन गुना वृद्धि हुआ है। 1997 में धान की कीमत 680 रू0 प्रति कुन्तल था, जो तीन गुना बढ़कर 2017 में 2767 रू0 प्रति कुन्तल हो गया है। पूरे वर्ष किसान गन्नें का केवल एक फसल ले पाता है, गेहूँ व धान की खेती करके वर्ष में कम से कम दो फसल तथा कुछ स्थितियों में तीन फसल का उत्पादन कर लेता है। इस तरह किसान जब दोनों के उत्पादन को गन्ने के उत्पादन से तुलना करते हैं तो किसानों के लिए खाद्यान्न फसल का उत्पादन करना ही अधिक लाभप्रद दिखता है। जिस कारण किसान खाद्यान्न फसल उत्पादित करना ज्यादा सहज समझते हैं।

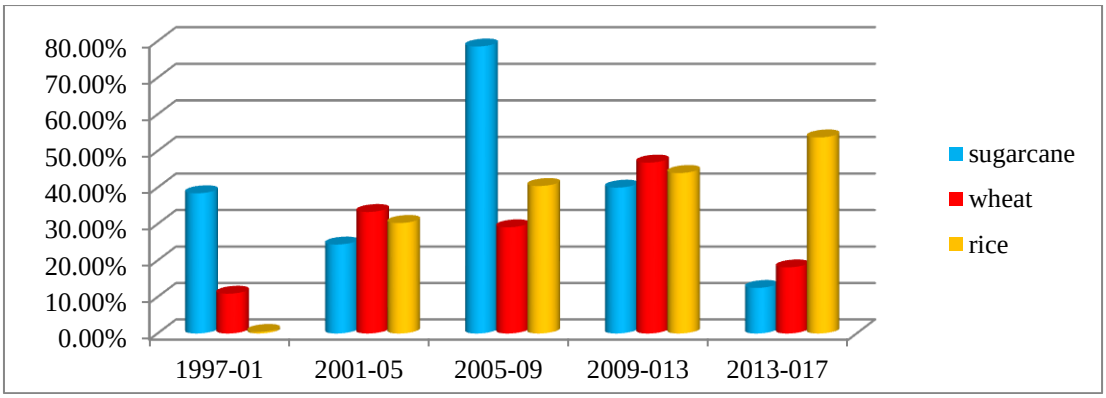

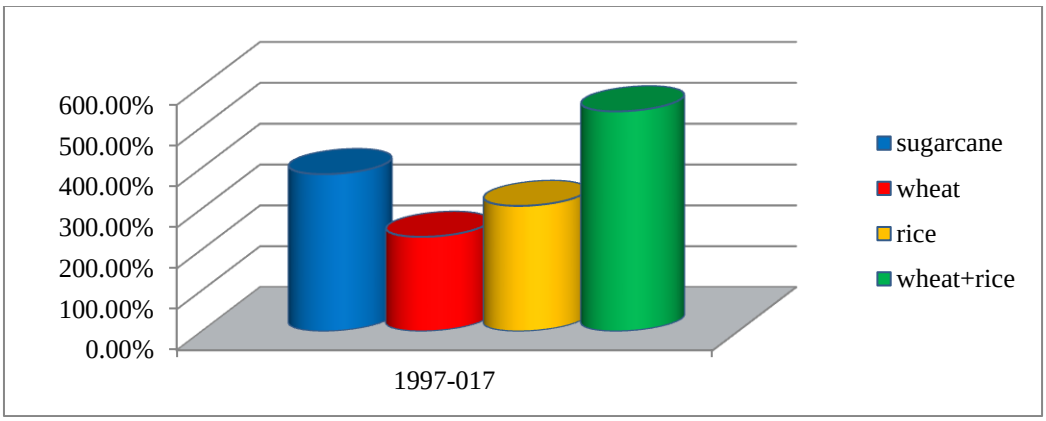

इन 20 वर्षों में यदि हम गन्नें की फसल तथा धान व गेहूँ की फसल में प्रति कुन्तल भाव में हुई वृद्धि को देखते हैं तो गन्नें के प्रति कुन्तल भाव में 384.6: वृद्धि हुई है। अर्थात् लगभग 4 गुना कीमत में वृद्धि हुई है। खाद्यान्न फसल के अंतर्गत धान व गेहूँ को देखा जाए तो गेहूँ के भाव में 231.24: लगभग ढ़ाई गुना मूल्य वृद्धि तथा धान के भाव में 306.91: यानि लगभग तीन गुना दाम में वृद्धि हुई है। गन्नें की फसल में किसानों की भूमि लगभग साल भर फंसी रहती है। इस तरह किसान साल भर में गन्नें की एक फसल ही काट पाते है, जबकि वर्ष में किसान धान व गेहूँ की कृषि करके दो फसल काट लेता है। अतः हम धान व गेहूँ के भाव को संयुक्त रूप से देखें तो इनके भाव में लगभग साढ़ें पाँच गुना वृद्धि हुआ है। अतः इससे साफ स्पष्ट होता है कि गन्ना के व्यापारिक फसल होने के बावजूद भी किसानों को इससे अधिक लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही है। किसानों के आमदनी का जरिया खेती ही है, जिसमें किसान पहले लागत लगाता है फिर चार महिने बाद जब फसल सही सलामत तैयार हो जाता है तो उन्हे उसकी आमदनी मिलती है, अन्यथा नहीं। यदि किसान गन्नें का फसल उपजा रहा है तो लगभग साल भर में फसल तैयार होता है, जिसे किसान मिल ले जाते है तो उन्हे पैसा कब मिलेगा यह तक सुनिश्चित नहीं होता।

गन्ना के प्रति किसानों की उदासीनता के कारण

1. कसानों को फसल का उचित मूल्य एवं तत्काल भुगतान प्राप्त न होना।
2. तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भू–जोतों का छोटा आकार।
3. गन्ना विपणन के लिए सीमित संसाधन।
4. मिल का सही समय पर संचालन न होना।
5. किसानों को मिल से पर्ची आसानी से उपलब्ध न होना।
6. मजदूरों का न मिलना।
7. देशी कल–कडाहों का लुप्त होना।
8. कृषि में कम आय की प्राप्ति से रोजगार या आय के अन्य विकल्पों की तरफ पलायन।
9. महंगी मजदूरी।
10. संसाधन की कमी।
11. खेती की नवीन पद्यतियों से परिचित न होना।
12. बिचौलयों की समस्या।
13. गन्नें की फसल का सामाजिक शोषण।
14. जनपद में ऊसर मिट्टी की प्रधानता।
15. सरकार की उदासीनता के कारण किसान गन्ने के प्रति उदासीन हो गये हैं।

इस तरह गन्ना की खेती किसानों के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। अतः किसान वही फसल उपजाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जो उनकी मूलभूत आवश्यकता हो तथा जिसमें जोखिम कम हो।

किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, घोसी–मऊ(उ0प्र0) जनपद में एकमात्र सहकारी चीनी मिल घोसी में स्थित है। जिसे 1984–85 ई0 में स्थापित किया गया था। शुरू में मिल की क्षमता 12,500 कुंतल प्रति दिन था, जिसे बाद में बढ़ाकर 25000 कुंतल प्रतिदिन पेराई क्षमता कर दिया गया अर्थात् वर्तमान में मिल की क्षमता 25000 कुंतल/दिन या 2500टन/दिन पेराई क्षमता है। इस चीनी मिल की चार समितियाँ हैं– घोसी, रसड़ा, बरहज और धूलियापार। ये सभी समितियाँ घोसी चीनी मिल के अन्तर्गत ही आती हैं।

समितियों के अंतर्गत आने वाला गन्ना क्षेत्र :

समिति	गन्ना क्षेत्र (हे0)
घोसी	**9563**
रसड़ा	**3000**
बरहज	**186**
धूलयापार	142
कुल	**12891 हे0**

इस तरह घोसी चीनी मिल अपने आस–पास के क्षेत्र सहित कुल 12891 हे0 गन्नें क्षेत्र को कवर करता है। यह चीनी मिल पूरी तरह भॉप (स्टीम) पर आधारित है। भॉप द्वारा टरबाइन (3 डट) को चलाया जाता है और उत्पादित बिजली से मिल का संचालन होता है। वर्तमान में 50,000 कुंतल के चार चीनी गोदाम हैं अर्थात् 2 लाख कुंतल क्षमता के चीनी गोदाम उपलब्ध हैं। घोसी चीनी मिल को 150 दिन चलाने का नियम है अर्थात् 150 दिन मिल चलाने के लिए प्रतिदिन पेराई क्षमता (25000कु0) के अनुसार मिल को 37,50,000 कुन्तल गन्नें की आवश्यकता होती है परन्तु मिल को 26 लाख कुन्तल गन्ना ही प्राप्त हो पाता है, जिस कारण चीनी मिल को एक सत्र या 150 दिन चलाने के लिए प्रतिदिन 22 से 23 हजार कुन्तल ही गन्नें की पेराई हो पाती है।

सहकारी चीनी मिल घाटे का कारणः– प्राथमिक आकड़ों से प्राप्त जानकारी के आधार पर जब से मिल स्थापित हुआ है, तब से ही घाटे में चल रही है। वर्तमान समय में ही घोसी चीनी मिल रू0 600 करोड़ घाटे में चल रही है। मिल क घाटे का कारण निम्नलिखित है–

- सर्वप्रमुख दोहरी मूल्य नीति है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार गन्नें का मूल्य निर्धारित करती है तथा केन्द्र सरकार चीनी का मूल्य निर्धारित करती है। पूरे भारत में उत्तर–प्रदेश का गन्ना सबसे महंगा है और मिल की अवस्था जर्जर होने के कारण 1 कुन्तल चीनी उत्पादन करने में मिल को रू0 8000 लागत आती है अर्थात् 1 कि0ग्रा0 चीनी के उत्पादन में रू0 80 का खर्च आता है परन्तु सरकार की नीति की वजह से 60ः कम सहकारी मिलें 60ः कम मूल्य रू0 3200/कुन्तल दर से अर्थात् 32/कि0ग्रा0 दाम पर चीनी बेचने के लिए बाध्य है।
- आधुनिक तकनीक का अभाव जिस कारण चीनी का उतपादन लागत काफी अधिक है।
- किसानों में जागरूकता की कमी जिस कारण यहाँ के किसान सामान्य वेरायटी का गन्ना उत्पादित करते हैं, जिससे चीनी रिकवरी बहुत कम प्राप्त होता है।
- मिल क्षमता के अनुरूप गन्ना की प्राप्ति न हो पाना।
- वेतन का भुगतान समय से ना हो पाने के कारण कर्मचारी पूरी क्षमता से कार्य नहीं करते।
- निर्णय प्रक्रिया काफी लम्बी होना जिससे निर्णय ततकाल न होकर एक सत्र बाद आता है।

इस प्रकार देखा जाए तो सहकारी चीनी मिल को जहाँ एक ओर सरकारी नीतियाँ दीमक की भँति चूस रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ नवीन तकनीक के अभाव में आज के आधुनिक दौर में जहाँ एक लड़ाई मिसाइल के द्वारा लड़ा जा रहा है तो वहीं सहकारी चीनी मिल यह लड़ाई तलवार द्वारा लड़ रही है, परिणामस्वरूप सहकारी चीनी मिलों की स्थिति दयनीय बनी हुई है।

निष्कर्षः

गन्ना अगर वास्तविक रूप से व्यापारिक फसल होता अर्थात् खाद्यान्न फसलों से अधिक मूल्य की प्राप्ति होती तो किसान इसके प्रति रूचि दिखाते और उन्हें नगद रूपये प्राप्त होते, जिससे वह खाद्यान्न के अतिरिक्त दूसरी जरूरतों को भी पूरी कर सकते थे। हमारे इस अध्ययन से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि गन्ना के प्रति उदासीनता ने किसानों को रबी और खरीफ की फसलों पर ही खाद्यान्न के साथ–साथ नगद के लिए भी आश्रित कर दिया है, जो अच्छा संकेत नहीं है। गन्ना के क्रय का मुख्य केन्द्र सहकारी चीनी मिल हुआ करती थी, परन्तु वर्तमान में अधिकतर सहकारी मिलें बन्द हो गई हैं और जो चल रही हैं वह अप्रत्याशित रूप में घाटे में हैं। जिससे किसानों को तत्काल मूल्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। मऊ जनपद के आस–पड़ोस के जिलों में भी मिल की समितियॉ स्थित हैं, इसके बावजूद भी मिल को पेराई क्षमता के अनुरूप गन्नें की प्राप्ति नहीं हो रही है। इसलिए अगर समय रहते इस स्थिति को समझ कर उचित कदम नहीं उठाये गये तो जनपद व प्रदेश में गन्ना एवं सहकारी चीनी मिलों का अस्तित्व संकट में आ जायेगा।

जनपद मऊ में गन्ना उत्पादन की चुनौतियों और सहकारी चीनी मिल के घाटे को कम करने के सुझाव :–

- **तत्काल उचित मूल्य भुगतानः–** किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य भुगतान उनके खातों में भेजा जाए।
- **देशी कल–कड़हों का संग्रहण** करना चाहिए क्योंकि यह मझौले व लघु किसानों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। वर्तमान समय में इन्ही कल–कड़ाहों से प्राप्त ऑक्सीजन द्वारा छोटे गन्ना कृषक जीवंत हैं।
- विकासखण्डवार गांवों को बांटकर **कृषक मित्रों** की नियुक्ति करना चाहिए जो किसानों को नवीन पद्यतियों से कृषि करना सीखाऍं।
- गुड़ उत्पादन को पंचायत के अन्तर्गत लाना चाहिए। सरकार द्वारा लोगों को गुड़ उत्पादन करने के लिए लाइसेंस प्रदान करना चाहिए।
- आज के वैश्विक परिदृश्य में हमें **गुड़ की ब्रांडिग** करके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारना चाहिए। अगर गुड़ ने

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी रफ्तार पकड़ ली तो गन्ना उत्पादन को अभूतपूर्व प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

● मांग के अनुरूप चीनी का उत्पादन व उपभोग करके बाकी बचे चीनी को उन देशों में जहाँ इसकी मांग हो निर्यात कर देना चाहिए। इसप्रकार हम **मांग व पूर्ति के विसंगति को कम करके** चीनी के दाम को सुदृढ़ता प्रदान कर सकते हैं।

● वर्तमान समय में सहकारी चीनी मिल को 1 कि0ग्रा0 चीनी उत्पादन करने में रू080 की लागत आ रही है इसे कम करने के लिए मिल का **नवीन प्रौद्योगिक द्वारा जीणोद्धार** कराना चाहिए, जिससे चीनी उत्पादन की लागत को कम किया जा सके।

●चीनी की **उत्पादन लागत के अनुसार दाम** तय करके बेचा जाए फिर अगर सरकार चाहे तो उस पर 30 या 40ः की **सब्सिडी प्रदान** करें, जो ग्राहकों के खाते में सीधे चली जाए।

● सरकार का **दोहरी मूल्य नीति का केन्द्रीयकरण** करना चाहिए। जिससे सरकार चीनी तथा गन्ना बेरायटी के अनुसार उसका मूल्य निधारित करे, जिसका अनुपालन सभी राज्य सरकारें करें।

● **सुगर काम्प्लेक्स की स्थापना** करनी चाहिए। यह पूर्णतः आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित मिलें होती हैं, जिसमें सारे काम मशीनों द्वारा होता है। जिससे मजदूरी लागत लगभग शून्य होता है। इसमें केवल 15 या 20 आदमी लगते हैं। मजदूरी लागत कम होने की वजह से चीनी का उत्पादन बहुत कम लागत में हो जाता है। सुगर काम्प्लेक्स के अन्तर्गत निम्नलिखित प्लान्ट लगाये जाते हैं–

▪ चीनी मिल ▪ इथेनॉल प्लांट ▪ पावर प्लांट ▪ शून्य उत्प्रवाह निस्तारण–प्रदूषण बचाव के लिए। ▪ शराब फैक्टरी ▪ पेपर व गत्ता प्लांट

इस तरह इन सह–उत्पादों को मिल में स्थापित किया जाए तो जो सहकारी चीनी मिलें आज करोड़ों के घाटे में चल रही है, वह धीरे–धीरे लाभ व विकास की ओर अग्रसित हो जायेगी।

● हमारा देश सही मामलों में तब खुशहाल बनेगा जब देश का अन्नदाता समृद्ध होगा। जिस प्रकार देश का सिपाही या अन्य पेशेवर देश को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। उसी प्रकार देश का किसान भी खेतों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं। अतः सरकार को किसानों के साथ न्याय करने के लिए उनको भी **सार्थक पेंशन योजना** के अन्तर्गत लाना चाहिए। पेंशन योजना का तरीका यह होगा कि किसके पास कितनी खेती की जमीन है, उसके अनुरूप उसका पेंशन तय करना चाहिए। इसके अलावा जब वेतन बनाया जाता है तो उसमें महंगाई भत्ता, दो बच्चों का पालन–पोषण, परिवहन खर्च आदि सब जोड़ा जाता है। उसी प्रकार किसानों को भी मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन तमाम चीजों को जोड़कर सरकार द्वारा न्यूनतम ही मूल्य तय करके किसानों के पेंशन में सब्सिडी के रूप में जोड़ देना चाहिए और इसे सीधे किसानों को देकर उनके खातों में पी0एफ0 की भांति जमा कर दिया जाये कि जैसे ही किसान 55 वर्ष के हो उनको पेंशन के रूप में मिलने लगे।

सन्दर्भ ग्रन्थ–सूचीः

1. कृषि भूगोल, आर0सी0तिवारी व बी0एन0 सिंह, प्रवालिका पब्लिकेशन इलाहाबाद।
2. कृषि भूगोल, अलका गौतम, सारदा पुस्तक भवन इलाहाबाद। ● जिला सांख्यिकी पत्रिका, मऊ।
3. उत्तर–प्रदेश सहकारी चीनी मिल्स संघ लिमिटेड, लख्नऊ।
4. चीनी उद्योग सुदृढ़ सहभागिता की ओर, भारत सरकार, लखनऊ।
5. किसान सहकारी चीनी मिल, घोसी।
6. विकीपीडिया
7. Updes.up.nic.in
8. Upsugarfed.org
9. Upcan.gov.in
10. Mau.nic.in